प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 30.03.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 15,000-15000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ***#Operation Conviction*** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एएसजे/एफटीसी/सीएडाब्लू, सोनभद्र) द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0: 119/2021

एस0टी0 नं0: 509/2021

धारा: 498ए, 304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट

अभियुक्तगण:

1. जितेन्द्र यादव पुत्र रामसजीवन
2. रामसजीवन पुत्र बोडर यादव
3. सुदामी देवी पत्नी रामसजीवन

समस्त निवासीगण लोढ़ी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

SONBHADRA POLICE

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:

1. मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को धारा 498ए भादवि0 के अंतर्गत **03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000-₹10000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।
2. धारा 304बी भादवि0 के अंतर्गत **07 वर्ष का कठोर कारावास** दिया गया।
3. धारा 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत **01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹5,000-₹5000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:

उक्त प्रकरण में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराते हुए दण्डित कराया गया।

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।

SONBHADRA POLICE